

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/ 5420

दिनांक :- 18/05/2020

आदेश संख्या : 48/2020-21

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें कनिष्ठ लेखाकार/त.रा.ले. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में सफल घोषित होने पर 02 वर्ष की अवधि हेतु कनिष्ठ लेखाकार पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, का राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वेतन नियमितिकरण/स्थाईकरण किया जाता है।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	लिंक नम्बर	मेरिट		जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	वेतन नियमितिकरण तिथि	स्थायीकरण तिथि
			नई	पुरानी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नरेन्द्र सिंह राव	10166	235	226	12-Jun-92	03.07.17	02.07.19	03.07.19	03.07.19
2	लोकेश कुमार चौधरी	10449	263	252	09-Apr-93	03.07.17	02.07.19	03.07.19	03.07.19
3	मुकुल दीक्षित	10698	520	520	01-Jun-88	03.07.17	02.07.19	03.07.19	03.07.19
4	ममता यादव	10548	1221	1185	04-May-93	04.07.17	03.07.19	04.07.19	04.07.19
5	मीमांसा पण्ड्या	10547	1514	1430	15-Dec-92	03.07.17	02.07.19	03.07.19	03.07.19
6	मोनिका यादव	11002	1622	1537	11-Sep-94	12.07.17	11.07.19	12.07.19	12.07.19
7	निलेश जोशी	10437	1676	1592	11-May-90	03.07.17	02.07.19	03.07.19	03.07.19
8	निशा यादव	10606	1678	1594	13-Jan-91	03.07.17	21.08.19 (80 days EOL)	22.08.19	22.08.19
9	नीतू सिंह मीना	9874	2407	2321	29-Jun-91	03.07.17	02.07.19	03.07.19	03.07.19
10	मुखलेश कुमार मीना	9875	2411	2325	15-Sep-83	11.10.17	10.10.19	11.10.19	11.10.19
11	मोहन कुमार शर्मा	10193	2968	2859	17-May-92	03.07.17	02.07.19	03.07.19	03.07.19
12	मोना रानी	11633	3102	3002	19-Sep-87	03.07.17	02.07.19	03.07.19	03.07.19
13	मुन्नी कुमारी	11089	3159	3064	01-Oct-90	03.07.17	02.07.19	03.07.19	03.07.19
14	मीतू कुमारी डंडिया	13016	3171	3076	20-Apr-87	09.02.18 After Noon	09.02.2020	10.02.2020	10.02.2020

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स के लेवल L-10 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों (जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा है) का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F. 15 (1) FD/RULES/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त आदेश कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों/वादों के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/ 5420

दिनांक :- 18/05/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)